(वाद सं0–1402 / 4 / 36 / 2021)

11.02.2022

परिवादी जय प्रकाश राय, सेवानिवृत्त पुलिस उपधीक्षक, महिला सशस्त्रवाहिनी, सासाराम उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी के दिनांक 31.7.2019 को सेवानिवृत्त होने के उपरांत पेंशन सहित अन्य सेवांत लाभों का अब तक भुगतान नहीं किए जाने से संबंधित है।

उक्त पर बिहार पुलिस मुख्यालय पटना से प्रतिवेदन की माँग की गई। पुलिस उपमहानिरीक्षक, मानवाधिकार, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत अर्जित अवकाश के बदले नगद राशि के भुगतान को छोड़कर अन्य सभी सेवान्त लाभों का भुगतान परिवादी को किया जा चुका है।

आज परिवादी के द्वारा राज्य आयोग को एक आवेदन के साथ सूचित किया गया कि उसे सभी सेवान्त लाभों का भुगतान किया जा चुका है। परिवादी का अपने आवेदन में यह भी कथन है कि सेवानिवृत्ति के उपरान्त संचित अर्जित अवकाश के बदले नकद राशि का भुगतान वर्तमान में प्रक्रियाधीन है जिसका भुगतान निकट भविष्य मे हो जायेगा।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद समाधान किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामलें को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

आज पारित आदेश की प्रति के साथ बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना की प्रतिवेदन (पृष्ठ–10–6 / प0) की प्रति संलग्न कर परिवादी को तद्नुसार सूचित कर दिया जाए।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक